चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 26.11.2025 को संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा संविधान के निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर व संविधान के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर कार्यालय के बाहरी परिसर को साफ- सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कलम द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय राजापुर में,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा थाना मानिकपुर में थाना/कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी।

इस अवसर पर वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,निरीक्षक एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय,आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र नागर एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(3). आज दिनाँक 26.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों,हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों की चेकिंग, बीट क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, संभावित विवादों के दृष्टिगत बीट सूचना अंकित कराने एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

1. आवेदिका श्रीमती कमला देवी पुत्री महेश निवासी टेरिया पुरवा मजरा अमानपुर ने अपने पति जयकरन पुत्र शिवसागर निवासी बन्ना गड़वाला थाना रैपुरा के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट एवं स्त्रीधन लेकर घर से निकाल देना, 2.आवेदक उत्तम प्रसाद पुत्र वंशगोपाल निवासी शिवरामपुर कोत0 कर्वी ने प्रार्थना पत्र दिया कि पुत्री सोनम के साथ पति शैलेन्द्र,सास चुनवादी निवासी कोत0 कर्वी के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा करना,गाली गलौज,मारपीट करना व घर से बाहर निकाल देना 3.सेमिया उर्फ सीमा देवी पुत्री उमेश उर्फ झल्लर निवासी खण्डेहा थाना मऊ द्वारा अपने पति रामलाल,सास बेसनिया,ससुर भोला प्रसाद एवं देवर दीपक कुमार के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा करना,गाली गलौज,मारपीट व अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती रंजना तिवारी,मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह व महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर

दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती रंजना तिवारी

2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

2.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 26.11.025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 467/2012 धारा 216ए,511 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भोला पटेल पुत्र बैजनाथ निवासी बरमपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी ने अभियुक्त भोला पटेल को सुरेश गैंग को खाद्य सामाग्री देते हुए पकड़े जाने की सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 467/2012 धारा 216ए,511,14/511 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 01.09.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।